(संलग्नक- 2)

उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई अनुभाग–4

संख्या – 2127/2001–27–सिं.–4–56/डब्ल्यू/98
लखनऊ, दिनांक : 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

जल संसाधनों (सतही तथा भूजल) को एक–एक इकाई मानते हुये तथा इनके प्रबन्धक, नियोजन तथा इनके विभिन्न उपयोग क्षेत्रों (जैसे पीने का पानी, कृषि हेत जल, औद्योगिक विकास जल विद्युत एवं ताप विद्युत उत्पादन, नौ परिवहन, आमोद, पर्यावरण संरक्षण हेतु नदियों में कम से कम आवश्यक जल की मात्रा) में आवंटन तथा इस कार्य को तथा सतही/भूजल उपयोग को विधिक आधार दिये जाने के लिये तथा पूर्व में गठित राज्य जल परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य जल संसाधन अभिकरण (State Water Resources Agency) के गठन करने का निर्णय लिया गया है।

इस राज्य जल संसाधन अभिकरण को जल सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु SWaRA के साथ State Water Resources Data & Analysis Centre (राज्य जल संसाधन आंकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र) के गठन हेतु भी निर्णय लिया गया है। ये संगठन विशेष रूप से निम्न कार्य करेंगे।

राज्य जल संसाधन अभिकरण –

01. विभिन्न जल उपयोग क्षेत्रों में जल संसाधन आवंटन क्षमता प्रदान करना।
02. सतही एवं भूजल का इष्टतम् प्रयोग तथा पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक रूप से नदी Basin Water Plan बनाना।
03. सतही एवं भूजल के उपयोग पर नियंत्रण करने हेतु नये अधिनियम बनाना तथा SWaRA का विधिक स्तर तय करना।
04. राज्य जल नीति को प्रदेश में लागू करना।

राज्य जल संसाधन आंकड़ा केन्द्र एवं विश्लेषण केन्द्र –

01. प्रत्येक बेसिन के लिये विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों का पुनरीक्षण तथा मानक रूप से आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन।

02. इन आंकड़ों की वेबसाईट बनाना जिससे कि प्राधिकृत उपयोगकर्ता इन आंकड़ों का प्रयोग कर सके।

03. SWaRA तथा SWTRC को आंकड़े उपलब्ध करना।

04. राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराना।

05. वर्षा/बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण तथा आवृत्ति अध्ययन।

06. GIS आधारित जल सूचना एटलस बनाना।

अध्यक्ष, राज्य जल संसाधन अभिकरण उत्तर प्रदेश उपरोक्त संगठनों को तीव्र गति से गठित करने के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ नियुक्त करने एवं Deputation पर अधिकारियों को लेने का कार्य करेंगे। निदेशक SWRDAC की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

आरम्भ में राज्य जल संसाधनं एजेन्सी तथा SWRDAC के विशेषज्ञों/अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन पर तथा अन्य व्यय Water Sector Restructuring Project के लिये प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।

इन संगठनों में निम्न पद होंगे :–

राज्य जल संसाधन एजेन्सी

(अ) अध्यक्ष

01.	अध्यक्ष (Chairman)	प्रमुख सचिव स्तर

(ब) विशेषज्ञ

01.	कृषि	1
02.	सिंचाई तथा जल निकास	1
03.	हाइड्रोलोजिस्ट	1
04.	जिओहाइड्रोलोजिस्ट	1
05.	पर्यावरण	1
06.	ऊर्जा	1
07.	अर्थ शास्त्री	1
08.	प्रबन्धन	1
09.	बेसिन प्लानिंग / Mathematical Modelling	2
10.	समाज शास्त्री	1

11.	औद्योगिक विकास	1
12.	जल निगम से सम्बन्धित अभियन्ता	1
13.	कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर तथा GIS विशेषज्ञ	2
(स)	**प्रशासन**	
01.	उपाध्यक्ष	1
02.	मैनेजर (कम्प्यूटर)	1
03.	मैनेजर (वित्तीय)	1
04.	मैनेजर (प्रशासन)	1
(द)	**अन्य स्टाफ**	
01.	लेखा लेखाधिकारी	खण्डीय स्तर के Divisional Accounts Officer
02.	लेखा लेखालिपिक	3
03.	स्टेनो (द्विभाषीय)	6
04.	कम्प्यूटर आपरेटर / Data entry operator	4
05.	लिपिक	2
05.	चालक	6
(य)	**चतुर्थ श्रेणी**	
01.	चपरासी	5
02.	चौकीदार	4
03.	कैन्टीन मैन	2